न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 16/2020
दायर दिनांकः– 26/06/2020
निर्णय दिनांकः– 31.08.2022

उनवान

1. श्री अभिषेक पिता पुखराज हिंगड नि. आकोला तहसील भूपालसागर।

वादी

बनाम

1. श्री चन्द्रप्रकाश पिता किशना गाडरी नि. आकोला, तहसील भूपालसागर।
2. श्री ललीत कुमार पिता किशना गाडरी निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर।
3. श्रीमती मांगीबाई बैवा किशना गाडरी नि. आकोला तहसील भूपालसागर।
4. श्री राधेश्याम पिता किशना जाट नि. भानियाखेडी.
5. तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री पवन जासवाल वादी वकील
2 श्री दिनेश शर्मा प्रतिवादी वकील

–:निर्णयः :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैः–

यह है कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात . 3804 रकबा 0. 40 हैक्ट. स्थित है जिसमें वादी का 3/8 हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी जरिये बंटवाडा डिक्री अपना हिस्सा अलग से चाहता है। अतः वादी ने 3/8 हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी कर जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2022 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा–

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा
1	श्री चन्द्रप्रकाश, ललित कुमार पि0 किशना मांगीबाई पत्नी स्व किशना	3804/1	0.10 है.
2	श्री अभिषेक पिता पुखराज हिंगड नि. आकोला	3804/2	0.15 है.
3	श्री राधेश्याम पि0 बोथलाल जाट 2/3 हि. रतन लाल पि0 सोराम जाट 1/3 हि. नि0 भानिया खेडी	3804	0.15 है.

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर [illegible] रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.01 15:21:47 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)